| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

## न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

**बंदोबस्त अपील वाद संख्या–64/2014–15**

**मदन तिवारी वगैरह**

**बनाम**

**सरकार वगैरह**

## आदेश

18.04.15

अपीलकर्त्ता मदन तिवारी एवं वासुदेव तिवारी, पिता–स्व० गोपाल तिवारी, ग्राम–हरपुर, टोला विरवा, अंचल–मझौलिया ने मझौलिया अंचल कार्यालय के बंदोबस्ती वाद संख्या–113/2000–01 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया के कार्यालय के बंदोबस्ती वाद संख्या–117/2000–01 में दिनांक 22.11.2002 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र पर उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया एवं वाद को सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत करने एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख माँगने हेतु आदेश दिया गया। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है तथा विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है।

अपीलकर्त्ता का संक्षेप में केस है कि ग्राम–हरपुर, टोला विरवा, अंचल–मझौलिया में खाता संख्या–817 खेसरा संख्या–5724/3 रकबा 8 कट्ठा 8 धूर एवं खेसरा संख्या–5724 रकबा 2 कट्ठा 10 धूर जमीन अवस्थित है। इस भूमि के अलावे अन्य भूमि बेतिया राज द्वारा सन् 1920 में आवेदकों के पिता गोपाल तिवारी के नाम से बंदोबस्त किया गया। इसपर उनका दखल कब्जा बंदोबस्ती के पूर्व से चला आ रहा था। बंदोबस्ती के बाद गोपाल तिवारी के नाम से मालगुजारी रसीद कटा और उसके बाद जमाबंदी आवेदक मदन तिवारी के नाम से कायम हो गया, जिसका जमाबंदी संख्या–741 है। आवेदकों का कहना है कि गोपाल तिवारी पाँच भाई

18-4-15

थे, इनमें चार भाई बिना किसी औलाद के स्वर्गवासी हो गये। गोपाल तिवारी अपने तीन लड़के 1. मदन तिवारी 2. वासुदेव तिवारी एवं 3. ठाकुर तिवारी को छोड़कर मर गए। गोपाल तिवारी के भाईयों के बीच आपसी बँटवारा हुआ और बँटवारा में खाता संख्या–817 खेसरा संख्या 5724 में से 7 कट्ठा जमीन गोपाल तिवारी के भाई सम्पत तिवारी को हिस्सा में प्राप्त हुआ। सम्पत तिवारी ने मदन तिवारी की बेटी सुभाषनी देवी को उक्त 7 कट्ठा जमीन सन् 1975 में बक्शीसनामा कर दिया। सुभाषनी देवी ने इस जमीन में से 3 कट्ठा 10 धूर जमीन आवेदक वासुदेव तिवारी की पत्नी को 2002 में बैयनामा लिख दिया तथा उसमें से बाकि 3 कट्ठा 10 धूर जमीन अपनी पत्नी भागीरथी देवी के नाम पर बैयनामा लिख दिया। आवेदकों का कहना है कि खाता संख्या–817 खेसरा संख्या–5724 में मात्र 3 कट्ठा 8 धूर जमीन बच गया तो आवेदक को हिस्से में मिला। इसपर आवेदकों के अनुसार 10 कट्ठा 18 धूर जमीन में दो आवेदकों का आधा–आधा दखल कब्जा है।

आवेदकों का कहना है कि दिनांक 30.06.2014 को विपक्षी जगदीश महतो द्वारा उन्हें बतलाया गया कि इस जमीन में से 10 डसीमिल जमीन की बंदोबस्ती उन्होंने करा लिया है। उन्होंने बंदोबस्ती वाली जमीन का कागजात का नकल लेकर अपील दायर किया है। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का दखल कब्जा नहीं है और बिना दखल कब्जा के जाँच के ही निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी के नाम से बंदोबस्त कर दी गई है।

अतः उन्होंने निम्न न्यायालय के अभिलेख में दिनांक 22.11.2000 को पारित आदेश को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। उनका कहना है कि बेतिया राज को सन् 1920 को या इसके पूर्व जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। आवेदकों द्वारा उनकी जमीन को हड़पने के नियत से जाली कागजात तैयार कराया गया है। अतः उन्हें अवैधानिक कार्य करने के कारण वे सजा के भागी है। अगर उनके साथ किसी तरह की जमीन की बंदोबस्ती की गई है तो उसे

18.7.23

रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने जमाबंदी संख्या–741 जो मदन तिवारी के नाम से चल रहा है, को रद्द करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी का कहना हैं कि उनके साथ नियमाकूल जमीन की बंदोबस्त की गई है। अतः विपक्षी का आग्रह है कि अगर आवेदकों के पक्ष में कोई बंदोबस्ती की गई है तो उसे रद्द की जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेतिया के न्यायालय में द०प्र०स० की धारा–144 के अर्न्तगत वाद संख्या–200/01एम/14 मदन तिवारी बनाम जगदीश प्रसाद चला था। जिसमें अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेतिया द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 23.01.2015 को आदेश पारित किया गया जिसमें उन्होंने द्वितीय पक्ष का दावा सबल पाते हुए वाद के अर्न्तगत निषघज्ञा नियम को प्रथम पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्टि करते हुए द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त कर दिया। आवेदकों द्वारा 1 बिगहा 14 कट्ठा जमीन का लगान रसीद वर्ष 2007–08 का दाखिल किया है, जो मदन तिवारी के नाम से है एवं जमाबंदी संख्या–741 अंकित है। उक्त लगान रसीद से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस जमाबंदी में प्रश्नगत जमीन शामिल है या नहीं?

निम्न न्यायालय के अभिलेख में अंचल अमीन, मझौलिया का दिनांक 24.07.2014 को अंचल अधिकारी, मझौलिया को समर्पित नापी प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या–817 खेसरा संख्या–5724/4 रकबा 10 डिसीमल जमीन पर विपक्षी जगदीश प्रसाद का दखल कब्जा है।

दोनों पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी जगदीश महतो एक सैनिक है, जिनके नाम से 10 डिसीमल जमीन की बंदोबस्ती की गई है एवं उस पर उनका दखल कब्जा है। आवेदकों का कहना है कि वर्ष 1920 में प्रश्नगत खेसरा में 10 कट्ठा 18 धूर जमीन अन्य भूमि के साथ बेतिया राज द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया एवं जमाबंदी संख्या–731 कायम किया गया तथा जमींनदारी उन्नमूलन के पश्चात् बिहार सरकार में भी जमाबंदी संख्या–731 गोपाल तिवारी से हस्तांतरित होकर उनके पुत्र मदन तिवारी आवेदक के नाम से

18-11-16

जमाबंदी संख्या–741 दर्ज हो गया, जो आज भी कायम है।

चूँकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–12413/2004 महारानी जानकी कुँअर मेडिकल कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति, बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक 12.05.2005 को स्पष्ट न्यायादेश पारित किया गया है कि "वर्ष 1896 के बाद बेतिया राज के जमीन को लीज पर देने या बेचने की शक्ति राजस्व पर्षद (Court of Wards) के अलावा किसी को नहीं है।"

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्टतः ज्ञात होता है कि वर्ष 1896 के बाद गैर मालिक जमीन की बंदोबस्ती करने की शक्ति बेतिया राज को प्राप्त नहीं थी। अगर आवेदक के पिता के नाम से बेतिया राज के द्वारा कोई जमीन की बंदोबस्ती की गई है वो अवैध है और उसके आधार पर कायम की गई जमाबंदी संख्या–741 रद्द किया जाता है, तथा आवेदक के बन्दोबस्ती अपील को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया/ अंचल अधिकारी, मझौलिया को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

18.4.15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

18.4.15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।